

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

तथ्यना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
25/19	88, 89, 91A 188 RTA	मिश्रीपुर	२९३१
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
राधाकाई	बनाम	वृत्तगाहन मी०	

वकील :- दोलत राम शीवा **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

6/10/19 अधिभाषक प्राचीं द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 91A 188 RTA विरुद्ध अप्राचीं गण के इस न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया प्रमाण दर्ज सजिस्टर किया जावे तथा अप्राचीं गण को परिधे समत तलक कर पत्रावली दिनांक 11/31/2019 को पेश हो।

11/3/019 आज पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 09/4/019 को पेश हो।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारां)

9/4/019 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राचीं उपस्थित। प्रतिवादी गणों के समत वाद तालील अपहारत। पुनः तलकी हेतु तलकीना पेश करें। वास्ते तलकी पत्रावली दिनांक 24/4/019 को पेश हो।

20/4/019 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राचीं उपस्थित। प्रतिवादी 1 ता 3 व 5 की तलकी हेतु तलकीना पेश करें। वास्ते तलकी पत्रावली दिनांक 04/6/019 को पेश हो।

27/019 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राचीं उपस्थित। प्रतिवादी 3 व 1 ता 3 व 5 की तलकी हेतु तलकीना अपाधी पेश करें। वास्ते तलकी पत्रावली दिनांक 16/7/019 को पेश हो।

दिनांक 15/3/23

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

16⁰¹/₂₃

पत्रावली पेश हुई। वहुलाए पारीकेउ उपस्थित। प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 3 की ओर से वकालतनामा पेश नहीं हुआ है। न्यायपत्रिका में अतिरिक्त डायरी दिनांक 15/3/23 को पेश हो।

15³/₂₃

अभिभाषक गण दंडनामा

अभिभाषक गण दंडनामा के अर्थ कार्य में अस्त-होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 26/4/26 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)

22⁶/₂₃

पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकार वदी गण मध्य अभिभाषक गण के उपस्थित। वदी गणों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बाद पत्र को विड्रॉल कर कार्यवाही नहीं चाहते बल्कि निवेदन अ. नि. राजाबाई किया तथा अज्ञात कराया कि वदी गण की ओर से अभिभाषक गण को सलाह के आधार पर सीजे एवं क्षेत्राधिकार विहित न्यायालय में प्रस्तुत हो जाने से वदी गण उच्च पाद पत्र को प्रत्याहृत कर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में नया वद प्रस्तुत करना चाहते हैं। वदी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वदी गण प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली अंशाल सुभार होकर दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)